रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16, 1977 (चैत्र 26, 1899)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16, 1977 (CHAITRA 26, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग I—खण्ड 3
PART I—SECTION 3

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

संकल्प

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) की निधियों का भारत की संचित निधि में विलय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1977

सं० 6—रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) एक वाणिज्यिक संगठन के रूप में 1947 से काम कर रहा है। इसका काम सैनिक अधिकारियों व जवानों और सेनाओं में काम कर रहे कतिपय सिविल कर्मचारियों को भारत भर में एक समान उचित और किफायती दरों पर घरेलू उपयोग का सामान और दैनिक आवश्यकता की कई दूसरी चीजों के अलावा शराब व कुछ किस्मों की मोटर गाड़ियां उपलब्ध करना है। इसे जो लाभ होता है उसका उपयोग मुख्यत सैनिकों के लिए किए जाने वाले कल्याण कार्यों पर किया जाता है। इसके ऊपर एक नियंत्रण बोर्ड है जो इस पर नजर रखता है। बोर्ड की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं और रक्षा सचिव, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) और सेना मुख्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य हैं। यद्यपि इसका वार्षिक व्यापार लेखा और संतुलन पत्र भी प्रति वर्ष रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखा में दर्शाया जाता है फिर भी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में वित्तीय लेन देन के हिसाब को अभी तक सरकार के हिसाब-किताब से बाहर रखा जाता था। और इसे भारत की संचित निधि में शामिल नहीं किया जाता था। संविधान की धारा 266 के अनुसार, भारत सरकार ने अब निश्चय किया है कि :—

(क) पहली अप्रैल, 1977 से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) की वित्तीय लेन-देन से हिसाब को मांग संख्या 20—रक्षा मंत्रालय सिविल प्राक्कलन, में दर्शाया जाएगा,

(ख) उक्त निधि से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) का वर्तमान स्वरूप समाप्त हो जाएगा और इसके बाद उसे रक्षा मंत्रालय में मिला दिया जाएगा और वह कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट कहलाएगा,

(ग) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) की परिसम्पत्ति और देनदारियां कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के माध्यम से भारत सरकार में निहित होंगी,

(घ) इस समय काम कर रहे कर्मचारियों में जिन्होंने इस पुनर्गठित संगठन में कर्मचारी नहीं रहने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा प्रकट नहीं की है, वे अपने पहले के पद पर काम करते रहेंगे और उन पर पहले की सेवा-शर्तें लागू होंगी बशर्ते कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जारी की जानेवाली भर्ती नियमावली और सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित नियमों और आदेशों में समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अनुकूल हो।

आदेश

2 आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और सेवा मुख्यालयों को भेज दी जाए।

3. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

डी० के० सरकार, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

RESOLUTION

MERGER OF THE FUNDS OF CANTEEN STORES DEPARTMENT (INDIA) IN THE CONSOLIDATED FUND OF INDIA

New Delhi, the 31st March 1977

No 6—The Canteen Stores Department (India) has been functioning since 1947 as a commercial undertaking under the Ministry of Defence with the object of making available household requisites and other items of daily necessity as also alcoholic drinks and certain types of motor vehicles, etc to the members of Armed Forces and to certain categories of civilian employees connected with Armed Services at reasonable and economical rates uniformly throughout India Its profits are utilised primarily for the welfare of the Armed Forces. The overall control and supervision is exercised by a Board of Control presided over by the Defence Minister with the Defence Secretary, Financial Adviser (Defence Services) and senior representatives of Service Headquarters as its members. The financial transactions of the Canteen Stores Department (India) have so far been kept outside the Government account and the Consolidated Fund of India, though its annual trading accounts and balance sheet are being reflected in the Appropriation Accounts of the Defence Services every year In order to conform to the provisions of Article 266 of the Constitution, the Government of India has now decided that .

(a) the financial transactions of the Canteen Stores Department (India) would from 1st April, 1977 be reflected in the Demand No 20—Ministry of Defence—Civil Estimates,

(b) the Canteen Stores Department (India) in its present form will cease to exist with effect from that date and thereafter be integrated with the Ministry of Defence and be known as Canteen Stores Department;

(c) the assets and liabilities of the Canteen Stores Department (India) will vest in the Government of India through the Canteen Stores Department,

(d) such of the existing employees as have not communicated their intention of not becoming employees in the redesignated organisation shall continue to hold the same posts therein and be governed by the same terms and conditions subject the recruitment rules to be issued under the proviso to article 309 of the Constitution of India and the modifications as may be made from time to time in the rules and orders relating to conditions of service applicable to the Government employees in general

ORDER

2 ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries of Government of India and the Services Headquarters.

3 ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information

D K. SARKER, Dy. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977